निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, वृहस्पतिवार, 7 जून 2018

सं० 08/आरोप–01–158/2014,सा०प्र०–6135

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

14 मई 2018

श्री राम बाबू, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1328/2008, 1091/2011 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10672 दिनांक 24.11.2009 द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना में बरती गयी अनियमितताओं पर कार्रवाई हेतु आरोप पत्र प्राप्त हुआ। संकल्प ज्ञापांक 1335 दिनांक 10.01.2010 द्वारा श्री राम बाबू को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया एवं आरोपों की सम्यक जांच हेतु संकल्प ज्ञापांक 12270 दिनांक 11.11.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी यथा, प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा के पत्रांक 494 दिनांक 27.08.2012 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16660 दिनांक 06.12.2012 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से श्री राम बाबू को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(I) तीन वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक।

(II) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक।

(III) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन आदि के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि कर्त्तव्य अवधि मानी जाएगी।

उपर्युक्त कंडिका–III में निहित दंड के विरूद्ध श्री राम बाबू ने सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 21445/2013 दायर किया जिसमें दिनांक 09.10.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"In The above circumstances , the impugned order dated 06-12-2012 only to the extent of punishment no (iii) by which it has been ordered that during the period of suspension, only subsistence allowance would be admissible, is hereby set aside and the matter is remanded to the discipainary authority to decide the same afresh arter grant to appropriate opportunity of hearing to the petitioner, in accordance with law."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 372 दिनांक 08.01. 2018 द्वारा श्री राम बाबू से निलंबन अवधि के विनियमन हेतु कारण पृच्छा की गयी। इस आलोक में उनका स्पष्टीकरण (पत्रांक 118 दिनांक 01.03.2018) प्राप्त हुआ।

श्री राम बाबू ने अपने स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों (यथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर मजबूत नियंत्रण नहीं होने तथा योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी रहने के कारण दो पंचायतो के कुछ व्यक्ति इस योजना से वंचित रहने) के संबंध में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया जिनका उल्लेख उन्होने पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया था। इस आधार पर उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं आरोपों की प्रमाणिकता के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 16660 दिनांक 06.12.2012 द्वारा संसूचित दंड (यथा कंडिका–III, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन आदि के प्रयोजनार्थ उक्त अवधि कर्त्तव्य अवधि मानी जाएगी) को यथावत रखा जाता है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in